



सहकारी मुद्रणालय

(मुद्रण क्षेत्र में राजस्थान की एक मात्र शीर्ष सहकारी संस्था)



राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि.

जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

फोन : 0141-2751352, 2751417

वेबसाईट : www.thecooperativepress.com

ई-मेल : thecooperativepress@gmail.com / raj_coop_press@yahoo.co.in

राज्य में स्थित सहकारी संस्थाओं/सरकारी विभागों, उपक्रमों एवं निकायों के दैनिक उपयोग की सामग्री व गोपनीय दस्तावेजों का मुद्रण कार्य सही समय पर, उच्च गुणवत्ता व उचित दर पर सम्पादित करने के उद्देश्य से 1960 में स्थापित राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय को आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। सहकारिता के सिद्धान्त पर चलते हुए सहकारी मुद्रणालय ने राज्य की सहकारी संस्थाओं में सफलता का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है।

वर्ष 1992-93 में राज्य सरकार ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सहकारी मुद्रणालय को राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय के समकक्ष दर्जा प्रदान किया तथा सहकारी मुद्रणालय की मुद्रण दरों को सामान्य वित्त एवं लेखा नियम (भाग- II नियम 30) में स्वीकृत करते हुए सभी सरकारी विभागों को बिना निविदा के सहकारी मुद्रणालय से कार्य करवाने की छूट प्रदान की। वर्तमान राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 में भी सहकारी मुद्रणालय की दरें स्वीकृत करते हुए सभी सरकारी विभागों को बिना निविदा के सहकारी मुद्रणालय से कार्य करवाने की छूट प्रदान की है। (एस.ओ. 135 बिन्दु संख्या 34)

सहकारी मुद्रणालय द्वारा किये जाने वाले कार्य

- समस्त प्रकार के एक रंगीय व बहुरंगीय मुद्रण कार्य, बाईण्डिंग, लेमीनेशन, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि कार्य
- विभागों/संस्थाओं के दैनिक उपयोग की स्टेशनरी, रजिस्टर, फार्म इत्यादि का मुद्रण
- नियमित प्रकाशन यथा पुस्तकें, समाचार पत्र-पत्रिकाएं, वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षण प्रतिवेदन का मुद्रण
- समस्त प्रकार की प्रचार-प्रसार सामग्री यथा-फोल्डर, पोस्टर, प्रपत्र, पम्पलेट, ब्रॉशर, कैलेण्डर इत्यादि का मुद्रण
- विश्वविद्यालयों की उत्तरपुस्तिकाओं का मुद्रण (ओएमआर व बारकोड सहित)
- सहकारी बैंकों के प्रयोगार्थ समस्त सामग्री यथा-चेक्स, ड्राफ्ट्स, रजिस्टर, एफडीआर, पे-इन-स्लिप, शेयर सर्टिफिकेट इत्यादि का मुद्रण
- विशेष रूप से निर्मित वाटर मार्क युक्त कागज पर गोपनीय प्रपत्रों का मुद्रण

मुद्रणालय द्वारा किये जा रहे अन्य कार्य

- फ्लेक्स/बैनर मुद्रण
- एलईडी बोर्ड/ग्लोसाईन बोर्ड/सनबोर्ड निर्माण
- डिजिटल इन्जेनरिंग/स्केनिंग
- प्रि-प्रिन्टेड कम्प्यूटर स्टेशनरी
- सिक्योरिटी प्रिंटिंग (चैक/ड्राफ्ट्स इत्यादि)
- स्टेशनरी एवं महत्वपूर्ण प्रकाशनों का विक्रय (दु.नं. 7-8, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर पर)


सहकारी मुद्रणालय की प्रमुख विशेषताएँ

- मुद्रण क्षेत्र में राज्य की एकमात्र शीर्ष सहकारी संस्थान
- मुद्रण दरें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित
- समयबद्ध उच्च गुणवत्तापूर्ण मुद्रण कार्य
- पूर्णतया पारदर्शी कार्य प्रणाली
- नवीनतम तकनीकी युक्त मशीनें एवं उपकरण
- व्यापार एवं लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि
- राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रबन्ध निदेशक एवं प्रशासक

सहकारी मुद्रणालय से कार्य करवाने के लाभ

- मुद्रण कार्य निविदा प्रक्रिया से मुक्त
- राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित दरों पर मुद्रण कार्य
- मुद्रण कार्य में ऑडिट आक्षेप/अनावश्यक विवादों से मुक्ति
- मुद्रण में प्रयुक्त कागज व अन्य सामग्री उच्च गुणवत्तापूर्ण
- आदेशित पूर्ण मात्रा में समयबद्ध आपूर्ति
- कम्प्यूटराईज्ड बिलिंग
- महत्वपूर्ण प्रकाशनों के मुद्रण में पूर्ण गोपनीयता

सहकारी मुद्रणालय कैसे पहुँचे ?



**OFF-SET PRINTING RATES FOR GOVERNMENT PRESS &
RAJASTHAN STATE COOPERATIVE PRESS**

Sl. No.	Work	Rates (in Rs.)
1.	Photo composing (Hindi & English)	(i) Photo Composing with formatting @ 0.25 per Sq. Inch. (ii) Formating without Composing @ 0.15 Per Sq.Inch.
2.	Colour scanning. Minimum size 7" X 7"	@ 0.25 Per Sq. Inch. Per colour, Minimum Size 7"x7" @ 175.00 Four Colour
3.	Processing for positive & negative	@ 0.15 Per Sq. Inch.
4.	Colour Planning	@ 1.00 Per Sq.Inch per colour
5.	Platemaking (18"X23") (23"X36")	@160.00 each plate @ 225.00 each plate
6.	Printing (Black & White) (18"X23") (23"X36")	@ 80.00 Per thousand @ 100.00 Per thousand
7.	Printing (Colour) (18"X23") (23"X36")	@ 130.00 Per thousand @ 150.00 Per thousand
8.	Screen Printing (i) invitation cards, certificates etc. (ii) letterheads, visiting cards etc.	@ 1.00 Per Imp. per colour @ 0.50 Per Imp. per colour
9.	Design charges	@ 175.00 Per Design Minimum size 9"x11"

-
1. Existing Annexure 'C' substituted vide Circular No.15/95 dated 26.5.1995 vide Circular No.13/98 dated 6.7.1998. and again substituted vide Circular No. 3/2006 dated 15.4.2006.